कार्यालय महाप्रबंधक,मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित,परियोजना कियान्वयन इकाई पन्ना
पता – इंद्रपुरी कॉलोनी, मैकेनिकल पी.एच.ई. उपखंड कार्यालय के पीछे, जिला-पन्ना, पिन 488001
E-mail:-mpjnmpanna@gmail.com CIN-U41000MP2012SG028798

क्रमांकः–330 /म.प्र.ज.नि.मर्या./परि. क्रि.इ./पन्ना दिनांक :– 09/04/2019

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
उत्तर सामान्य वनमंडल
पन्ना (म.प्र.)

विषयः मझगांय समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत 3.71 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाईप लाईन बिछाने हेतु भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही के संबंध में ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक–FP/MP/WATER/33505/2018

संदर्भः आपका पत्र क्र./मा.चि./2019/34, पन्ना दिनांक 08.03.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि मझगांय समूह जल प्रदाय योजना के अंर्तगत संदर्भित पत्र द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक FP/MP/WATER/33505/2018 के अंर्तगत वन क्षेत्र में कार्य करने हेतु सशर्त अनुमति प्रदान की गई थी। रकवा का विवरण निम्नानुसार हैं–

क्र0	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	पाईप लाईन की कुल लम्बाई (मीटर में)	पाईप लाईन की चौड़ाई अधिकतम (मीटर में)	प्रभावित वनक्षेत्र (हे0 में)
1	अजयगढ/धरमपुर	P-38	172	0.50	0.008
2		P-168	244	0.50	0.012
3		P-169	417.94	0.50	0.020
4		P-213	1174.96	0.50	0.058
5		P-53, 55	2193.32	0.50	0.109
6		P-187	2628.31	0.50	0.131
7		P-189	1242.77	0.50	0.061
8		P-180	442.87	0.50	0.022
9		P-172	280.14	0.50	0.014
10		P-173	4915.34	0.50	0.245
11		P-12	2335.59	0.50	0.116
12		R-30	635.45	0.50	0.031
13		P-28	615.21	0.50	0.030
14		R-22, P-25	4169.11	0.50	0.208
15		P-20	254.64	0.50	0.012
16		P-36	680.07	0.50	0.034
17		P-06	24.13	0.50	0.001
18		P-02	1068.63	0.50	0.053
19		P-195	6040.13	0.50	0.660
20		P-197	81.00	0.50	0.004
21		P-190	1271.00	0.50	0.063
22		P-194	1800.00	0.50	0.090
कुल			**32686.61**	**0.50**	**1.982**

इस संबंध में आपके द्वारा दर्शायी गई शर्ते निम्नानुसार है:–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात् वह भूमि संरक्षित वन रहेगा।
2. वनभूमि पर श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे।
3. सूर्य अस्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावेगा।
4. वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग किनारे राईट आफ वे के अन्तर्गत ही दी जा रही है। राईट आफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
5. प्रस्तावित कार्य के दौरान किसी भी वृक्ष को काटा व हानि नहीं पहुंचाई जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से किया जायेगा। अर्थात् समतलीकरण हेतु वनक्षेत्र में अन्य किसी स्थान पर खुदाई नहीं की जावेगी।
7. समतलीकरण कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खंनन नहीं किया जायेगा।
8. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जडो को नहीं काटा जायेगा।
9. आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वनमंडलाधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान को देय होगी।
10. राज्य शासन द्वारा की जाने वाली यह अनुमति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुवीक्षण किये जाने की शर्त के अधीन मान्य होगी।
11. यह वन भूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी। भूमि के प्रयोजन में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा। ऐसे प्रयोजनों में बदलाव हेतु राज्य शासन के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।
12. वन भूमि के हस्तांतरण से पूर्व अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. परियोजना क्षेत्र में बसे हुये आदिम जाति (Primitive Tribal Communities) एवं कृषि –पूर्व समुदाय की मान्यता प्राप्त अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।
14. वनों के संरक्षण, अनुरक्षण तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तो का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा।
15. उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि उसके चारों ओर क्षेत्र में स्थित जीव जन्तुओं व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उसको संरक्षित करने लिये सभी आवश्यक उपाय भी करेगा, अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
16. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हें मान्य होंगी।

17. प्रस्तावित क्षेत्र की जी.पी.एस. रीडिंग ली गई है जिसके अधीन कार्य किया जायेगा।
18. औपचारिक स्वीकृति जारी दिनांक से मात्र 01 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगी, इसके उपरांत स्वीकृति स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी।
19. स्वीकृत की किसी भी शर्त के उल्लंघन होने की स्थिति में जारी स्वीकृति स्वमेय समाप्त समझी जावेगी।
20. वनक्षेत्र में जहां वनों का घनत्व अधिक हो वहां किसी भी तरह की मशीनों से कार्य नहीं कराया जावेगा एवं पहाड़ी तथा घाटी मार्ग मशीनों से कार्य नहीं किया जावेगा ऐसे क्षेत्रों में मात्र श्रमिकों के माध्यम से ही कार्य कराया जावे।

म.प्र. जल निगम मर्यादित पी.आई.यू. पन्ना को सरल क्र.1 से 20 तक की सभी शर्तें स्वीकार है तथा दर्शायी गई शर्तों के अनुसार कार्य कराया जायेगा तथा पत्र अनुसार एन.पी.व्ही. की राशि रू.15,91,546/– दिनांक 05.04.2019 को जमा करा दी गई है (ऑनलाईन भुगतान सत्यापन की प्रति संलग्न है)। अतः निवेदन है कि कृपया अतिशीघ्र उपरोक्त वनक्षेत्र में कार्य करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

महाप्रबंधक
म.प्र. जल निगम मर्या.
परियोजना क्रियान्वयन इकाई
पन्ना (म.प्र.)

प्रस्तुत किया
09-04-19

ok